



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग.)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

No- CHG/DRG/LST-35/NGP

दिनांक -06/01/2022

प्रेषित- एजेन्ट . नंदिनी चूनापत्थर खदान,  
सर्वश्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  
पोस्ट- नंदिनी एतहसील-धमधाए  
जिला-दुर्ग(छ.ग.)490036

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले मे स्थित आपकी नंदिनी चूना खान (Area 526.34 Ha.) . मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 01.12.2021 by undersigned accompanied by Shri pankaj Kumar, Mine Manager

Rule	Nature of Violation observed								
11(1)	<p>The Modified Mining Plan was approved vide letter no. दुर्ग/ चूप /खयो-1058/2016-रायपुर dated 26.12.2016 and following deviation were observed during inspection</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The quantity of ROM mineral production, OB &amp; Reject proposed 1004956T tons, 204680 tons &amp; 200991 tons respectively in 2020-21 but actual achievement is only 282138 tons, 176552 tons &amp; 69418 tons which is on very lower side.</li> <li>The development is proposed in three faces but actual working is done in two face with deviation.</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proposals</th> <th>Achievement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BFQ (SW) 541989 E TO 541589E 2362849N TO 2362967N</td> <td>BFQ (SW) 541759E TO 541916E 2362889 N TO 2362866 N</td> </tr> <tr> <td>BFQ (NW) 541942E TO 541608E, 2363778N TO 2363480 N</td> <td>&amp; BSQ (N-E)</td> </tr> <tr> <td>BSQ (N-E) 542654 E TO 542628 E, 2364082N TO 2363819N</td> <td>542632 E TO 542638 E ,2364060 N TO 2363872N</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>The afforestation is not done as per proposals and achievement is only 100 nos in 0.01 ha. area against the proposal given 5625 nos given in 2.25 ha. Area.</li> </ol>	Proposals	Achievement	BFQ (SW) 541989 E TO 541589E 2362849N TO 2362967N	BFQ (SW) 541759E TO 541916E 2362889 N TO 2362866 N	BFQ (NW) 541942E TO 541608E, 2363778N TO 2363480 N	& BSQ (N-E)	BSQ (N-E) 542654 E TO 542628 E, 2364082N TO 2363819N	542632 E TO 542638 E ,2364060 N TO 2363872N
Proposals	Achievement								
BFQ (SW) 541989 E TO 541589E 2362849N TO 2362967N	BFQ (SW) 541759E TO 541916E 2362889 N TO 2362866 N								
BFQ (NW) 541942E TO 541608E, 2363778N TO 2363480 N	& BSQ (N-E)								
BSQ (N-E) 542654 E TO 542628 E, 2364082N TO 2363819N	542632 E TO 542638 E ,2364060 N TO 2363872N								
45(5)©	As per the annual return submitted for the period 2020-21 it was mentioned that cost of production is Rs 974.82/- and Ex-mine price is given 1110.93 which is not correct for captive use.								

- 2 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवम 45(7)(क) के अंतर्गत
- (क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप च1, च2, च3 में मासिक बिबरनी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा।
- (ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ग) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
- (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों Rule 11(1)का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

4 अतः आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(c) का अतिशिघ्र सुधार करे एवं उसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर